न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी– जी 37, रीको 4 फेज, पुर रोड़, भीलवाड़ा।	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी (सामान्य) एवं अति. जिला कलक्टर (शहर), भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :25.01 .2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी (सामान्य) एवं अति. जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 21.12.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 448212 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 18.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 की सूचना लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी (सामान्य) एवं अति. जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा के कार्यालय से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी (सामान्य) एवं अति. जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा को बिन्दु संख्या 01 की सूचना उपलब्ध कराने हेतु अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.01.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी (सामान्य) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक सामान्य/2022/28112 दिनांक 17.01.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 01 में चाही गयी सूचना के कुल पृष्ठ संख्या 3 की राशि 6/– (छः) रूपये कार्यालय में जमा करा नकले प्राप्त करने हेतु कार्यालय के पत्रांक 30442 दिनांक 08.11.2021 से प्रार्थी को लिखा गया, किन्तु नकले तैयार करा प्रार्थी को सूचित किये जाने के उपरान्त भी अब तक सूचना प्रार्थी द्वारा प्राप्त नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार नियमानुसार राशि जमा नहीं कराये जाने से प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 25.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा